

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

लाईसेंस सं. एमयूएम : 125

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्कर्ष स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड को एतद् द्वारा नवम्बर 25, 2016 के कार्यालय पत्र बैविवि.एनबीडी.(एसएफबी – यूएमएफएल) सं 5993/ 16.13.216 / 2016-17 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया जाता है।

Licence No. MUM: 125

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22 (1) of the Banking Regulation Act, 1949, **Utkarsh Small Finance Bank Limited** is hereby granted a licence to carry on small finance bank business in India subject to the terms and conditions mentioned in the office letter DBR.NBD. (SFB-UMFL).No. 5993/16.13.216 / 2016-17 dated November 25, 2016.

ट्या टाञ्च अध्येक (एस. एस. बारिक) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग विनियमन विभाग केंद्रीय कार्यालय मुंबई - 400 001 दिनांक: नवम्बर 25, 2016 (S.S. Barik)

,

Chief General Manager-in-Charge

Reserve Bank of India
Department of Banking Regulation
Central Office
Mumbai – 400 001
Dated: November 25, 2016

